भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3043
उत्तर देने की तारीख: 20/03/2023

वर्ष 2014 के बाद पुन: नामकरण की गई शिक्षा योजनाएं

†3043. श्री नकुल के. नाथ:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय की योजनाओं के नाम जिन्हें वर्ष 2014 के बाद बदल दिया गया है; और
(ख) वर्ष 2014 के बाद इन योजनाओं के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): केंद्रीय बजट, 2018-19 में घोषणा की गई है कि स्कूल शिक्षा को समग्र रूप से और बिना किसी विभाजन के पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक माना जाएगा। इस संदर्भ में, विभाग ने 2018 में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की तत्कालीन केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल करके स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना, समग्र शिक्षा शुरू की। यह योजना स्कूल शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में मानती है और शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुसार है। यह योजना न केवल आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है बल्कि एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ भी संरेखित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

पूर्ववर्ती एसएसए, आरएमएसए और टीई (2017-18 तक प्रभावी) और समग्र शिक्षा (2018-19 से प्रभावी) के लिए बजट आवंटन अनुलग्नक में दिया गया है।

सरकार ने 2021-22 में मध्याह्न भोजन योजना को जारी रखने, पुनरीक्षण और संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया है और केंद्र प्रायोजित योजना को 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)' के रूप में पुनर्नामित करने के लिए पात्र बच्चों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन के पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कार्यक्रम (2020-21 तक प्रभावी) और पीएम पोषण योजना (2021-22 से प्रभावी) के लिए बजट आवंटन अनुलग्नक में दिया गया है।

वयस्क गैर-साक्षरों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से देश में 31.03.2022 तक प्रौढ़ शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना "पढ़ना लिखना अभियान" लागू की गई थी। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित करने और देश भर में गैर-साक्षर लोगों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने हेतु 2022-23 से प्रभावी "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)" नामक एक नई केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है। प्रौढ़ शिक्षा योजना और एनआईएलपी के लिए बजट आवंटन अनुलग्नक में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

वर्ष 2014 के बाद पुन: नामकरण की गई शिक्षा योजनाएं के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री नकुल के. नाथ द्वारा दिनांक 20.03.2023 को पूछे जाने वाला लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3043 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बजट आवंटन (रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	2015-16	2016-17	2017-18		2018-19	2019-20	2020-21		2021-22		2022-23	2023-24
1	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	22000.00	22500.00	23500.00	समग्र शिक्षा 2018-19 से प्रभावी	30891.81	36322.00	38750.50		31050.16		37383.36	37453.47
2	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	3565.00	3700.00	3830.00									
3	शिक्षक शिक्षा	557.60	480.00	480.00									
4	स्कूलों में मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	9236.40	9700.00	10000.00		10500.00	11000.00	11000.00	पीएम-पोषण 2021-22 से प्रभावी	11500.00		10233.75*	
5	प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास	450.00	320.00	320.00		320.00	75.40	10.00		250.00	नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) 2022-23 से प्रभावी	127.00	

*संशोधित अनुमानों में 12,800.00 करोड़ रूपये किया गया।

****